

विधवा पेंशन योजना (रूल-300)	सदस्यता	पंजीकृत लाभार्थी की विधवा को मु0 1500/- (पन्द्रह सौ) की राशि प्रत्येक माह बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी।
--------------------------------	---------	--

Widow Pension Scheme [Rule
No.-300]

पंजीकृत लाभार्थी की विधवा को मु. 1500/- (पन्द्रह सौ) की राशि प्रत्येक माह बोर्ड द्वारा प्रदान की जाएगी।